

मादक पदारथों के उन्मूलन हेतु भारत के प्रयास

प्रलिमिस के लिये:

NDPS अधिनियम, NCB, गोल्डन क्रसिंग और गोल्डन ट्रायांगल, मादक पदारथों के नियंत्रण के लिये राष्ट्रीय कोष, मादक पदारथों की मांग में कमी के लिये राष्ट्रीय कार्ययोजना

मेन्स के लिये:

मादक पदारथ: उपयोग की सीमा, चुनौतियाँ, पहल, मादक पदारथों के दुरुपयोग की समस्या एवं संबंधित पहल।

चर्चा में क्यों?

गृह मंत्रालय (MHA) देश में मादक पदारथों के उन्मूलन हेतु एक रणनीतिक प्रयास कर रहा है। विंगेट तीन वर्षों में सरकार ने देश के कई राज्यों में 89000 फुटबॉल मैदान के आकार के भाँग और अफीम उत्पादक क्षेत्रों को नष्ट कर दिया है।

- सरकार का लक्ष्य 2047 तक भारत को "मादक पदारथ मुक्त" बनाना है।

भारत में मादक पदारथों के दुरुपयोग की सीमा:

- भारत मादक पदारथों के दुरुपयोग और तस्करी संबंधी गंभीर चुनौती का सामना कर रहा है, जो लाखों लोगों, वशीषकर युवाओं के स्वास्थ्य, कल्याण और सुरक्षा को प्रभावित करता है।
- वरलड ड्रग रपोर्ट 2022 के अनुसार, भारत में 2020 में ज़ब्त की गई अफीम की चौथी सबसे बड़ी मात्रा 5.2 टन है और उसी वर्ष ज़ब्त की गई मॉर्फनी की तीसरी सबसे बड़ी मात्रा 0.7 टन थी।
 - ड्रग्स एंड क्राइम पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय (UNODC) के अनुसार, भारत ने 2019 में वशिव भर में 7% अफीम तथा 2% हेरोइन को ज़ब्त की।
- भारत दो प्रमुख ड्रग उत्पादक क्षेत्रों - गोल्डन क्रसिंग (ईरान-अफगानसितान-पाकिस्तान) और गोल्डन ट्रायांगल (थाईलैंड-लाओस-म्यांमार) के बीच स्थिति है, जो इसे अवैध मादक पदारथों की तस्करी के लिये संवेदनशील बनाता है।



भारत द्वारा अफीम और भाँग की खेती को खत्म करने के लिये किये गए प्रयास:

- भारत में व्यापक रूप से उत्पादित और उपयोग किये जाने वाले दो ड्रग्स अफीम और भाँग हैं।
 - पोस्ता के पौधे से अफीम और भाँग के पौधे से भाँग प्राप्त होती है। दोनों को साइकोएक्टवि ड्रग्स कहा जाता है, जिनके प्रयोग से लत और स्वास्थ्य समस्याएँ उत्पन्न हो सकती हैं।
 - सरकार ने अवैध फसलों को नष्ट करने, ड्रग्स को जबत करने, तस्करों को गरिफ्तार करने और जागरूकता उत्पन्न करने जैसे विभिन्न उपायों के साथ ड्रग्स पर कार्रवाई तीव्र कर दी है।
- इस संबंध में सरकार की कुछ उपलब्धियाँ इस प्रकार हैं:
 - **नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB)** के अनुसार, विभिन्न तीन वर्षों में 89,000 से अधिक फुटबॉल मैदानों के आकार के क्षेत्र में अफीम और भाँग की खेती को नष्ट कर दिया गया है।
 - NCB ने बताया है कि विभिन्न तीन वर्षों में देश भर में 35,592 एकड़ में अफीम की खेती और 82,691 एकड़ में भाँग की फसल नष्ट हो चुकी है।
 - जनि राज्यों में फसलें नष्ट हुई हैं उनमें अरुणाचल प्रदेश, असम, मणपुर, झारखण्ड, मध्य प्रदेश, हमियाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, गुजरात, महाराष्ट्र, ओडिशा, त्रिपुरा और तेलंगाना शामिल हैं।
 - NCB ने यह भी कहा कि उसने पछिले तीन वर्षों में 3,000 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की 6.7 लाख कलिग्राम से अधिक दवाएँ जब्त की हैं।
 - जब्त दवाओं में हेरोइन, अफीम, भाँग, कोकीन, मेथामफेटामाइन, MDMA (एक्स्टासी), केटामाइन आदि शामिल हैं।

सरकार ड्रग समस्या से कैसे निपट रही है?

- विधायी उपाय: सरकार ने ड्रग्स एंड कॉम्मेटिक्स एक्ट, 1940 जैसे विभिन्न कानून बनाए हैं- **नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉप्सि सबस्टेंस एक्ट (NDPS) 1985** और अवैध व्यापार की रोकथाम में नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉप्सि सबस्टेंस एक्ट (PITNDPS), 1988।
 - दवाओं के नियमान, वितरण, कब्जे और खपत को विनियमिति और प्रतिविधिति करना।
 - NDPS अधनियम में नशीली दवाओं के अपराधों के लिये कड़े दंड का प्रावधान है।
- संस्थागत उपाय: सरकार ने NCB, **राजस्व खुफिया निदिशालय (DRI)**, सीमा शुल्क विभाग आदि जैसे संस्थान बनाए हैं।
 - ये संस्थान ड्रग कानूनों को लागू करते हैं तथा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अन्य एजेंसियों के साथ समन्वय करते हैं।
 - NCB विभिन्न दवपिक्रीय और बहुपक्रीय पहलों जैसे- **SAARC** ड्रग अपराध निगरानी डेस्क (SDOMD) का भी हस्तिया है।
- नविरक उपाय:
 - सरकार ने **नशीली दवाओं की मांग में कमी लाने हेतु राष्ट्रीय कार्ययोजना (NAPDDR), नशा मुक्त भारत अभियान (NMBA)** आदि जैसी विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों की शुरुआत की है।

- ये योजनाएँ नशीली दवाओं के दुरुपयोग को रोकती हैं और नशा करने वालों को उपचार तथा पुनर्वास सेवाएँ प्रदान करती हैं।
- NAPDDR का उद्देश्य जागरूकता सृजन, क्षमता निर्माण, नशा मुक्ति और पुनर्वास के माध्यम से ड्रग की मांग को कम करना है।
- NMBA का उद्देश्य स्कूली बच्चों में नशीली दवाओं के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है।

■ **NIDAAN और NCORD पोर्टल:**

- यह एक डेटाबेस है जिसमें NPDS अधिनियम के तहत गरिफ्तार किये गए सभी संदर्भों और दोषियों की तस्वीरें, उंगलियों के निशान, अदालती आदेश, जानकारी एवं विवरण शामिल हैं, जिसे राज्य तथा केंद्रीय कानून प्रवरत्तन एजेंसियों द्वारा एक्सेस किया जा सकता है।
- नेशनल नारकोटिक्स कोऑर्डिनेशन पोर्टल (NCORD) पर ड्रग्स के स्रोत और इसके अंतर्मि लक्ष्य के विषय में बताया जाता है तथा ज़िला स्तर तक की जानकारी रखी जाती है।

भारत में ड्रग कंट्रोलिंग से जुड़ी चुनौतियाँ:

■ प्रयाप्त बुनियादी ढाँचे का अभाव:

- नशीले पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग से प्रभावी ढंग से नपिटने के लिये प्रशिक्षित कर्मियों, वशीष उपकरणों और उचित बुनियादी ढाँचे की कमी है।

■ नए साइकोएक्टिव पदार्थों का प्रसार:

- भारत में नए साइकोएक्टिव पदार्थों का उपयोग बढ़ रहा है और ये दवाएँ अक्सर मौजूदा ड्रग नियंत्रण कानूनों के अंतर्गत नहीं आती हैं। इस कारण से कानून प्रवरत्तन एजेंसियों के लिये उन्हें प्रभावी ढंग से विनियमित करना जटिल हो जाता है।

■ डार्क नेट ईंजिन ड्रग ट्रैफिकिंग:

- NCB के मुताबिक, अवैध ड्रग्स में 'डार्क नेट' और क्रिप्टोकरेंसी का इस्तेमाल बढ़ रहा है तथा वर्ष 2020, 2021 और 2022 में ऐसी ने ऐसे 59 मामलों की जांच की है।

■ जागरूकता और शिक्षा की कमी:

- वशीष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में नशीली दवाओं के दुरुपयोग एवं लत से खतरों के बारे में जागरूकता और शिक्षा की कमी है।

■ उच्च मांग:

- भारत में एक बड़ी आबादी के साथ-साथ दवाओं की उच्च मांग है, जो नशीली दवाओं के व्यापार को आसान बनाती है।

■ सामाजिक कलंक:

- भारतीय समाज में मादक पदार्थों की लत को अभी भी अत्यधिक कलंकता माना जाता है, जिससे व्यक्तियों के लिये सहायता एवं उपचार प्राप्त करना कठिन हो जाता है।

नशीली दवाओं/ड्रग्स के दुरुपयोग को समाप्त करने के उपाय:

■ कानून प्रवरत्तन को सख्त करना:

- कानून प्रवरत्तन एजेंसियों को प्रयाप्त संसाधन, प्रशिक्षण और आधुनिक उपकरण प्रदान करके NDPS अधिनियम और PITNDPS अधिनियम के कार्यान्वयन को मज़बूत करना।
- एजेंसियों के बीच समन्वय में सुधार के साथ-साथ मादक पदार्थों की तस्करी को प्रभावी ढंग से रोकने के लिये अधिक सख्त नियमों एवं खुफिया जानकारी एकत्र करने हेतु तंत्र का गठन करना।

■ नविरक उपायों में वृद्धि:

- नशीली दवाओं के व्यसनी लोगों हेतु कफियती उपचार और पुनर्वास सुविधाओं की उपलब्धता तथा नशीली दवाओं के दुरुपयोग के खतरों एवं मदद के महत्व के बारे में लोगों को शिक्षित करने के लिये जागरूकता अभियानों को प्रोत्साहन।

■ आपूर्ति कमी को संबोधित करना:

- सीमा नियंत्रण में सुधार, उन्नत प्रौद्योगिकी का उपयोग तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में वृद्धिकरके दवा आपूर्ति शृंखलाओं को रोकने पर ध्यान केंद्रित करना।
- अवैध कृषि में लगे कसिानों हेतु वैकल्पिक आजीविका कार्यक्रमों के माध्यम से दवा उत्पादन को कम करना।
- झारखंड राज्य ने अवैध रूप से अफीम उत्पादक कसिानों हेतु एक वैकल्पिक आजीविका योजना शुरू की है और यह अवैध फसलों को नष्ट करने के लिये नकद प्रोत्साहन प्रदान करती है।

■ अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मज़बूत बनाना:

- नशीले पदारथों की तस्करी पर प्रभावी ढंग से अंकुश लगाने हेतुपड़ोसी देशों, वैशेष रूप से गोल्डन क्रीसेंट और गोल्डन ट्रायांगल में सहयोग को मजबूत करना।
- सूचना और सर्वोत्तम तरीकों के आदान-प्रदान हेतु **UNODC** तथा **इंटरपोल** जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ साझेदारी को मजबूत करना।

■ **प्रौद्योगिकी का उपयोग:**

- बगि डेटा और एनालिटिक्स एवं AI द्वारा ट्रैफिकिंग नेटवर्क की पहचान तथा ट्रैक करने, द्वारा मूवमेंट की निगरानी करने तथा द्वारा के दुरुपयोग व तस्करी से संबंधित गतिविधियों की पहचान करने पर ज़ोर देना।
- ड्रोन एवं उपग्रह द्वारा अवैध नशीली दवाओं की खेती की निगरानी और पता लगाने एवं संदर्भ क्षेत्रों की उच्च-रजिल्यूशन छवियाँ प्राप्त करना।
- ऑनलाइन रपोर्टिंग प्रणाली विकसित करना जहाँ नागरिक नशीली दवाओं के दुरुपयोग तथा तस्करी की गतिविधियों की रपोर्ट कर सकें।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, विभिन्न वर्ष के प्रश्न:

प्रश्न. संसार के दो सबसे बड़े अवैध अफीम उगाने वाले राज्यों से भारत की नकिट्टा ने भारत की आंतरिक सुरक्षा चतियों को बढ़ा दिया है। नशीली दवाओं के अवैध व्यापार एवं बंदूक बेचने, गुपचुप धन विदेश भेजने और मानव तस्करी जैसी अवैध गतिविधियों के बीच कड़ियों को स्पष्ट कीजिय। इन गतिविधियों को रोकने के लिये क्या-क्या प्रतिरोध उपाय किये जाने चाहये? (**मुख्य परीक्षा, 2018**)

प्रश्न. एक सीमांत राज्य के एक ज़िले में स्वापकों (नशीले पदारथों) का खतरा अनियंत्रित हो गया है। इसके परणिमस्वरूप काले धन का प्रचलन, पोस्त की खेती में वृद्धि, हथियारों की तस्करी व्यापक हो गई है तथा शक्तिशाली भी ठप हो गई है। संपूर्ण व्यवस्था एक प्रकार से समाप्तिके कगार पर है। इन अपुष्ट खबरों से क्षितिजीय राजनेताओं के साथ-साथ वरषित पुलसि अधिकारी भी द्वारा माफिया को गुप्त संरक्षण प्रदान कर रहे हैं, स्थिति और भी बदतर हो गई है। ऐसे समय में परस्थितियों को सामान्य करने के लिये एक महला पुलसि अधिकारी, जो ऐसी परस्थितियों को सामान्य करने के लिये जानी जाती है, को पुलसि अधीक्षक के पद पर नियुक्त किया जाता है। यदि आप वही पुलसि अधिकारी हैं, तो संकट के विभिन्न आयामों को चहिनति कीजिय। अपनी समझ के आधार पर संकट का सामना करने के उपाय सुझाइये। (**2019**)

स्रोत: द हार्डि

PDF Reference URL: <https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/india-s-push-to-eradicate-drugs>